

सा०का०नि०.....(अ)- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4क की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 49/2008-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 24 दिसम्बर, 2008 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. सं. 882(अ) तारीख 24 दिसंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं० 140 के सामने स्तंभ (2) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :-

“8421 21 20, 8421 99 00” ।

(फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू)

(अक्षय जोशी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 49/2008-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 24 दिसम्बर, 2008 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 882(अ) तारीख 24 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 1/2013-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 मार्च, 2013 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. सं. 148(अ) तारीख 1 मार्च, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।